न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 118 / 2019

उनवान

भंवर सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद, जरियें पावर आर्फ अर्टोनी हाल्डर भंवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. मान कंवर पत्नी जगमाल सिंह
3. दौलत कंवर पुत्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें राज0 पैरोकार
2 व 3 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :— 16.6.23

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू की निम्न आराजी वादी के पूर्वजों की खातेदारी / काश्तकारी की है :—

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1995	2041	2—19—0	2522	0.20
			2526	0.36
2018	2010	1—6—0	2447	0.32
2026	2010	1—2—0	2448	0.16
1157	1128	2—5—0	2789	0.39

ग्राम व प0म0 देराठू की उक्त आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को दिनांक 16.06.1985 को राजस्व कैम्प में आंवटन नियमन की गयी। उक्त आवंटन आदेश कर पालना में नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक [illegible] को गैर खातेदार का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। तब से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण आराजी [illegible] पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु दौराने बंदोबस्त [illegible] आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी [illegible] प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया वादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर वेदन किया कि वंर्किंग खसरा नम्बर 2041 रकबा 2–19–0 नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 16.06.1985 से भंवर सिंह पुत्र राम सिंह व जगमाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गैर खातेदार अंकित है। उक्त खसरा नम्बर का शेष रकबा 6–11–0 भूमि पूर्व में ही वंर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में लक्ष्मण सिंह वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 2041 के हाल खसरा नम्बर 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 व 2526 बने है। जिनमें से खसरा नम्बर 2522 व 2526 सिवायचक है। वंर्किंग खसरा नम्बर 2010 रकबा 0–2–0 वंर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में लक्ष्मण सिंह वगै0 के नाम पूर्व में खातेदारी दर्ज है। तथा 2–8–0 नामान्तकरण संख्या 466 से भंवर सिंह वगै0 के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 2446, 2447 व 2448 बने है। जिसमें से खसरा नम्बर 2446 पूर्व अनुसार खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2447 व 2448 सिवायचक दर्ज है। वंर्किंग खसरा नम्बर 1128 रकबा 2–5–0 नामा0 स0 466 से भवंर सिंह वगै0 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है।हाल खसरा नम्बर 2789 सिवायचक है।

1. आया वादग्रस्त आराजी वंर्किंग जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3/पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से व वादी व प्रतिवादी 2 व 3 वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी के पावर आफ॔ अटोर्नी होल्डर भंवर सिंह पुत्र राम सिंह के बयान करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

<u>तनकी संख्या 1</u> :—

वादी का कथन है कि ग्राम व प0म0 देराठू के वंर्किंग खसरा नम्बर 2041 रकबा 2–19–0, 2010 रकबा 2–8–0 व 1128 रकबा 2–5–0 उनको दिनांक 16.06.1985 को राजस्व कैम्प में आंवटन नियमन किया गया। उक्त आवंटन का नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता/पति जगमाल सिंह के नाम नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 16.6.1985 के द्वारा अंकित हुआ। उक्त नामान्तकरण के कालॅम संख्या 14 में "आवंटन एस0डी0ओ0 सा0 राजस्व कैम्प क्रमांक/489 दिनांक 16.6.1985 अंकित है"। उक्त नामान्तकरण द्वारा आवंटी व्यक्तियों को गैर खातेदार दर्ज किया गया। वंर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 1 में वंर्किंग खसरा नम्बर 2041 मिन रकबा 2–19–0 नामान्तकरण संख्या 466 से भंवर सिंह वगै0 के नाम गैर खातेदार अंकित है। खाता संख्या 185 में वंर्किंग खसरा नम्बर 1128 रकबा 2–8–0 में से 2–5–0 बदर [illegible] सिवायचक तथा नामान्तकरण संख्या 466 से भंवर सिंह वगै0 के नाम अंकित है। वं[illegible] ख[illegible] नम्बर 2041 मिन का शेष रकबा 6–11–0 व वंर्किंग खसरा नम्बर 2010 [illegible] शेष रकबा [illegible] 2–10 इसी खाते मे जसवंत सिंह पुत्र देव सिंह के नाम खातेदारी [illegible] है। वंर्किंग [illegible] नम्बर 2010 रकबा 2–7–0 खाता संख्या 1 में नामान्तकरण संख्या 466 से भंवर सिंह [illegible] के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी/पूर्वज के नाम उक्त आवंटन राजस्व अभिलेख में तरमीम नामान्तकरण दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 466 व वंर्किग जमाबंदी से भी आवंटन के तथ्य सिद्ध होते है। वादी/पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/पूर्वज के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी है। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादी/पूर्वज को किया गया तथा मौके पर कब्जा व दखल भी सौपा गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के आवंटन का अमल दरामद जरिये नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 16.6.1985 द्वारा किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में पूर्व राजस्व अभिलेख नामान्तकरण, वंर्किग जमाबंदी व मिलान श्रेत्रफल पेश किये है। हाल राजस्व अभिलेख खसरा नम्बर में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 2041 रकबा 2-19-0 नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 16.06.1985 से भंवर सिंह पुत्र राम सिंह व जगमाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गैर खातेदार अंकित है। उक्त खसरा नम्बर का शेष रकबा 6-11-0 भूमि पूर्व में ही वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में लक्ष्मण सिंह वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 2041 के हाल खसरा नम्बर 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 व 2526 बने है। जिनमें से खसरा नम्बर 2522 व 2526 सिवायचक है। वंर्किग खसरा नम्बर 2010 रकबा 0-2-0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 185 में लक्ष्मण सिंह वगै0 के नाम पूर्व में खातेदारी दर्ज है। तथा 2-8-0 नामान्तकरण संख्या 466 से भंवर सिंह वगै0 के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 2446, 2447 व 2448 बने है। जिसमें से खसरा नम्बर 2446 पूर्व अनुसार खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2447 व 2448 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1128 रकबा 2-5-0 नामा0 स0 466 से भवंर सिंह वगै0 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2789 राम सिंह पुत्र जसवंत सिंह व अन्य की खातेदारी में दर्ज है। वादी के पूर्वजों के नाम आराजी मुतनाजा विधिवत तरीके से दर्ज हुयी थी जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 2041 व 2010 का शेष रकबा पूर्व में ही वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी अंकित था। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2049 से 2051 में भी उक्त आराजी पर आवंटी का कब्जा प्रमाणित होता है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के के नाम दर्ज नही की है। उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested

--4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन का इन्द्राज पूर्व राजस्व अभिलेख में किया गया है। वादी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन सबंधी दस्तावेज भी पेश किये है। जिसमें आराजी मुतनाजा भंवर सिंह पुत्र राम सिंह व जगमाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को आवंटित हुयी थी। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। आवंटी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे ऐसी स्थिति में वादी इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 2522 रकबा 0.20, 2526 रकबा 0.36, 2447 रकबा 0.22, 2448 रकबा 0.16 व 2789 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी भंवर सिंह पुत्र राम सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भवंर सिंह बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 118/2019
पेश करने की दिनांक – 1.10.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.) व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 2522 रकबा 0.20, 2526 रकबा 0.36, 2447 रकबा 0.22 व 2448 रकबा 0.16 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी भंवर सिंह पुत्र राम सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 6 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद